बरकतउल्ला विश्वविद्यालय होशंगाबाद रोड भोपाल

कमांक 05 / अकादमी (पात्रता) / 2018 भोपाल दिनांक 24/ 05 / 2018

अधिसूचना

(पात्रता प्रमाण पत्र हेतु दिशा–निर्देश सत्र 2018–19)

शैक्षणिक सत्र 2018–19 में म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र (कमांक 395 / 73 / सीसी / 17 / अडतीस, भोपाल दिनांक 03 / 05 / 2018 एवं कमांक 413 / 116 / सीसी / 17 अडतीस भोपाल दिनांक 08.05.2018) द्वारा जारी प्रवेश नियम / मार्गदर्शी सिद्धांत एवं अकादमिक कैलेण्डर के परिपालन मे विश्वविद्यालय के पात्रता निर्देश (2018–19) जारी किये जा रहे हैं। (विश्वविद्यालय की अधिसूचना कमांक 01 / अकादमी(पात्रता) / 2018 दिनांक 17 / 05 / 2018) । उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के पूर्व वर्षो के पात्रता निर्देशों में कुछ संशोधन किये गये हैं, अतः समस्त महाविद्यालय इनसे अवगत हों एवं विद्यार्थियों को भी अवगत करायें। निर्धारित समयावधि मे केवल ऑन लाईन पात्रता आवेदनों की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में समय पर जमा कर पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करें। पात्रता के अभाव मे प्रवेश का नियमन सम्भव नहीं होगा। समस्त निर्देशों एवं पात्रता प्रमाण पत्र की ऑन लाईन लिंक के लिये विश्वविद्यालय की वेवसाईट (www.bubhopal.ac.in) का अवलोकन करें ।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

पृ0कमांक 06 / अकादमी (पात्रता) / 2018 भोपाल दिनांक 24 / 05 / 2018

प्रतिलिपि–

1. कुलपति के निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलपतिजी को सूचनार्थ ।
2. कुलसचिव के निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलसचिव जी को सूचनार्थ ।
3. उपकुलसचिव परीक्षा / गोपनीय शाखा की ओर सूचनार्थ ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष .... ब0वि0वि0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. ब0वि0वि0 भोपाल से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयो के प्राचार्यों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सूचनार्थ ।
6. प्रभारी, वेबसाइट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. निज नस्ती ।

उप कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.) पिन : 462026

क्रमांक 01...../अकादमी/पात्रता/2018 भोपाल, दिनांक 17/5/18

अधिसूचना

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी प्रवेश संबंधी मार्ग दर्शक सिद्धांत (2018–19) के साथ–साथ पात्रता संबंधी शर्तों/निर्देशों के अनुसार ही छात्रों को प्रवेश देवें। प्रवेश संबंधी सामान्य निर्देश निम्नानुसार है:–

1 **पात्रता प्रवेश पूर्व की प्रकिया है अतः छात्र यह सुनिश्चत कर लें, कि प्रवेश से पूर्व किस पाठ्यकम में प्रवेश चाह रहें हैं, उनमें पात्रता रखते है या नही, नियमानुसार पात्रता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त करें ।**

2 प्रवेश पूर्व यह सुनिश्चत कर लें कि आपकी संस्था/विभाग को संबंधित पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है। **संबद्धता की प्रत्याशा में कोई भी प्रवेश न दिये जावें।**

3 प्रवेश उतनी सीटों पर ही दे, जितनी सीटें विश्वविद्यालय द्वारा अथवा केन्द्रीय नियामक संस्था द्वारा निर्धारित की गई है।

4 महाविद्यालय प्रवेश पूर्व यह सुनिश्चत कर लें कि वांछित योग्यता रखने वाले नियमानुसार शिक्षक, प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष, प्रयोगशाला मय सामग्री, पुस्तकें आदि पर्याप्त है। उचित होगा कि आप इनकी सूची समय से स्वतः अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर देवे और वेबसाईट पर प्रदर्शित करें। यदि निरीक्षण के दौरान इसमें कोई कमी पाई जाती है तो विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसका दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा।

5 जिन छात्रों ने हायरसेकेण्ड्री (10+2) की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल (मध्यप्रदेश बोर्ड) या (सी.बी.एस.ई.) केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से उत्तीर्ण की है (सामान्य पाठ्यक्रम) स्नातक भाग 1,2,3 या स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध म.प्र. के किसी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो और पाठ्यक्रमों में कोई परिवर्तन न हुआ हो तो **उन्हें पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है।**

6 बाहय प्रदेशो के संबधित सभी छात्रों को निर्धारित शुल्क के साथ नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया है तो संबधित छात्र/छात्रा को परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है। पात्रता आवेदन के साथ मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति लगाना अनिवार्य है जो कि संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है ।

7 **स्नातक प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम** :— केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. के उत्तीर्ण छात्रों को छोडकर मध्यप्रदेश राज्य के शेष शिक्षा बोर्ड, एव म.प्र. राज्य के बाहर के समस्त शिक्षा मण्डल/बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रो को **पात्रता प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य** होगा।

7 (अ) **स्नातक प्रथम वर्ष ऑनर्स हेतु**:- सभी प्रवेशित छात्रो को पात्रता प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। हायरसेकेण्डी (10+2) मे **<u>60 प्रतिशत</u>** अंको से पास होना अनिवार्य है। किन्तु व्यवसायिक पाठ्यकमों मे केन्द्रीय नियामक संस्थाओ द्वारा जारी अर्हताऐं लागू होंगी ।

8 **स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष) पाठ्यक्रम हेतु**:— बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से एव म0प्र0 के शासकीय वि0वि0 के उत्तीर्ण छात्रों को छोडकर शेष अन्य विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रो को प्रवेश के लिये पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

9 **एल.एल.एम. प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु**:— एल.एल.बी. में 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होगें । (न्यायालयीन निर्णयों के अनुसार 54.5 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी भी पात्र होगें) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियो के लिए प्राप्तांकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी ।

10 **स्तर पर नियमित/स्वाध्यायी प्रवेश हेतु पात्रता**:—

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को स्नातक पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी:—

1. विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय में प्रवेश के अतिरिक्त वाणिज्य संकाय, कला संकाय एवं गृह—विज्ञान संकाय में भी प्रवेश की पात्रता होगी ।
2. वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
3. वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियो को वाणिज्य संकाय के अतिरिक्त कला एवं गृह—विज्ञान संकाय मे प्रवेश की पात्रता होगी ।
4. कला संकाय के विद्यार्थियों को कला संकाय के अतिरिक्त गृह—विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी ।
5. गृह—विज्ञान संकाय मे 10+2 परीक्षा गृह विज्ञान से उत्तीर्ण छात्राओं के अतिरिक्त विज्ञान, वाणिज्य कला संकाय तथा 10+2 परीक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी प्रवेश की पात्रता होगी ।

संकाय परिवर्तन होने पर प्राप्तांक के 5 प्रतिशत अंक कम कर तदनुसार गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा ।

(ख) 10+2 कृषि संकाय— उत्तीर्ण विद्यार्थी बी.ए. एव बी.एस.सी. बॉयो ग्रुप के साथ—साथ एलाइड विषय जैसे सीड टेक्नॉलाजी, माइक्रो बयलॉजी, बॉयोटेक, सॉइल कन्जरवेशन, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर एव इडस्ट्रीयल केमिस्ट्री मे प्रवेश हेतु पात्र होगें ।

(ग) बी.बी.ए./बी.सी.ए. मे प्रवेश— संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार होगें

11 **बी.एस.सी. प्रवेश हेतु पात्रता** :—

A - हायरसेकेण्डी (10+2) परीक्षा में बायोलॉजी समूह लेने वाले छात्रों को केवल बायोलॉजी समूह में प्रवेश की पात्रता होगी।

B- गणित समूह लेने वाले छात्रों को केवल गणित समूह मे प्रवेश की पात्रता होगीं ।

C- माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम हायरसेकेण्ड्री (10+2) में विज्ञान से मिलते–जुलते विषय तथा लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालेसिस, क्लीनिकल बॉयोकेमेस्ट्री तथा माईक्रोबायलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम विषय लेकर उत्तीर्ण छात्रों को **बी.एस.सी. भाग–1** बायोलॉजी ग्रुप में प्रवेश की पात्रता है।

D - हायरसेकेण्ड्री (10+2) कृषि समूह वाले छात्रों को **बी.एस.सी. भाग–1** बायोलॉजी समूह एवं शीड टैक्नोलॉजी मे प्रवेश की पात्रता है ।

12. **बी.पी.ई.एस.** – हायरसेकेण्ड्री (10+2) पास होना अनिवार्य है।

13. निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में पात्रता प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है:–

कमांक	स्नातक	स्नातकोत्तर	यू.जी.डिप्लोमा / पी.जी.डिप्लोमा
1.	बी.बी.ए.	एम.बी.ए.,	पी.जी.डी.सी.ए.,
2.	बी.सी.ए..	एम.ए. सोसलवर्क,	पी.जी.डी.एफ.डी.,
3.	बी.एच.एम.सी.टी.,	एल.एल.एम.,	पी.जी.डी.एम.एम.,
4.	बी.पी.एस.ई.,	एम.पी.एड.,	पी.जी.डिप्लोमा इन योगिक साईस,
5	बी.ए.आनर्स,	एम.एड.,	पी.जी. डिप्लोमा योगा,
6.	बी.कॉम आनर्स,	एम.पी.एन.	बी.लिव.,
7.	बी.एस.सी. आनर्स,		एम.लिव.,
8.	बी.ए.एल.एल.बी. आनर्स		डिप्लोमा इन फोटोग्रॉफी ।
9.	बी.ए.एल.एल.बी.,		
10.	एल.एल.बी.		
11	बी.पी.एड.,		
12.	बी.एड.		
13.	बी.एस.सी.बी.एड		
14	बी.ए.बी.एड.,		
15	बी.पी.ई.एस.		

14. **व्यावसायिक पाठ्यक्रम**:–

A - **बी.ए.एल.एल.बी., बी.ए.एल.एल.बी. आनर्स तथा एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश**:– बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जावेगा।

B - **बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड., एम.एड, बी.एस.सी. बी.एड., बी.ए. बी.एड पाठ्यक्रम** में प्रवेश के लिये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हता अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।

C - **एम.बी.ए पाठ्यकम** : में प्रवेश केवल उन्हीं छात्रों को दिया जावे जिनका अनुमोदन संचालक, तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा हुआ हो। चयनित / प्रवेशित छात्रो की सूची के साथ कौंउसिलिंग दिनांक से 15 दिवस की समयावधि मे उपलब्ध करावें।

D - अन्य सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो कि केन्द्रीय नियामक संस्थाओं :– (एन.सी.टी.ई., बी.सी.आई., ए.आई.सी.टी.ई.इत्यादि) द्वारा समय–समय पर जारी अद्यतन प्रवेश हेतु अर्हताओं संबंधी दिशानिर्देश मान्य होगें।

15. **एम.सी.एम,पी.जी.डी.सी.ए.,एम.ए. (सोशल वर्क), बी.सी.ए., बी.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश :–**

(अ) एम.सी.एम / पी.जी.डी.सी.ए. / एम.ए. (सोशल वर्क) मे प्रवेश हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।

(ब) **बी.सी.ए.:– 10+2 (गणित विषय के साथ) उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे ।** हायर सैकेन्ड्री मे न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।

(स) **बी.बी.ए. पाठ्यक्रम:–** मे प्रवेश हायर सैकेन्ड्री (10+2) पास होना अनिवार्य है।

16. **छूट–** पात्रता एवं आयु संबंधी नियम मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार ही मान्य होंगे ।

17. **पीएच.डी. पाठ्यक्रम:–** बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल में पंजीकृत सभी छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा।

18. **पात्रता प्रमाण पत्र शुल्क :–**

A – प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक, सामान्य पात्रता शुल्क रूपये 300/– निर्धारितकिया गया है, प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात 15 दिन तक अतिरिक्त विलंब शुल्क रूपये 300/– तथा प्रवेश की अंतिम तिथि से 30 दिन तक अतिरिक्त विलंब शुल्क रूपये 600/– तथा प्रवेश की अंतिम तिथि से 45 दिन तक अतिरिक्त विलंब शुल्क रूपये 1000/– के साथ पात्रता प्रदान की जावेगी।

B - पात्रता प्रमाण पत्र के ऑन लाईन आवेदन करने के पश्चात "हार्ड कॉपी" के साथ अपने मूल प्रमाण पत्रो को दस दिनो के अन्दर पात्रता शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा सत्यापन पश्चात ही पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

19. अन्य निर्देश :–

1. एम.एस.सी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश अध्यादेश मे विनिहित प्रावधान के अनुसार ही दिया जावे।
2. अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर के प्रथम–द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमो के पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अगली कक्षा में तभी प्रवेश दिया जावेगा यदि उनके पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के समकक्ष होगें। यदि पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत से अधिक भिन्नता पाई जाती है तो प्रवेश नही दिया जावेगा। स्नातक तृतीय वर्ष मे प्रदेश से बाहर के विश्वविद्यालयों के छात्रों को प्रवेश तभी दिया जा सकेगा जब पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत से अधिक की समानता होगी ।
3. उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त म.प्र. शासन द्वारा प्रवेश हेतु जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तो का महाविद्यालय कड़ाई से पालन करे तथा जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई उसका कड़ाई से पालन करें।
4. कोई नया पाठ्यक्रम बिना कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. एवं अन्य संबंधित विभागों तथा विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना संचालित नही करें अन्यथा परिनियम–27 एवं 28 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
5. यू.जी.सी. द्वारा जिन विश्वविद्यालय को फर्जी एवं अमान्य घोषित कर दिया गया हैं उन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रो को प्रवेश न दे तथा ऐसे फर्जी एवं अमान्य विश्वविद्यालयो की सूची यू.जी.सी. की वेबसाईट से डाउनलोड करें।

6. जिन पाठ्यक्रमों को यू.जी.सी. /भारतीय विश्वविद्यालयीन संघ (AIU) द्वारा मान्यता/समकक्षता प्रदान नही की गई है, ऐसे पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश न दें।

7. जिन छात्र ने पूर्व प्रचलित हायरसेकेण्ड्री (10+2+3) के अंतर्गत स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए मान्य होंगे।

8. विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 04.01.2014 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि ATKT प्राप्त विद्यार्थियों को अन्य किसी महाविद्यालय में स्थानांतरण नही किया जाये अन्यथा प्रवेश देने वाले महाविद्यालय के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी

9. छात्र/छात्राओं के महाविद्यालय में प्रवेश देने से पूर्व संबंधित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा यह परीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जावे कि प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा संबंधित पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अर्हताऐं पूर्ण करता है/करती है। अपात्र को प्रवेश देने पर सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष की होगी।

10. जिन छात्र/छात्राओं को शासन के किसी सामान्य नियमों के तहत अंकों में या सीटों में छूट/आरक्षण का लाभ दिया जाता है, तो उसका उल्लेख करना सुनिश्चित किया जावे।

11. प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों की सूची प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरांत 10 दिन की समयावधि में विश्वविद्यालय मे भेजना सुनिश्चित करें।

12. अमान्य बोर्ड/शिक्षा मण्डल एवं वि.वि. से उत्तीर्ण छात्र –छात्राओं को प्रवेश देने पर संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्यो/विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी।

13. इस अधिसूचना में लिखित निर्देशों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता 'विरोधाभास' पाये जाने पर अथवा किसी बिन्दु के इन्टरप्रेटेशन की आवश्यकता की स्थिति में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 07........ /अकादमी / पात्रता / 2018
भोपाल, दिनांक 17/5/18

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त एवं सचिव, उच्च शिक्षा म.प्र. संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल नर्मदापुरम संभाग(शा.एम.एल.बी. कॉलेज परिसर, भोपाल)।
3. अवर सचिव, उच्च शिक्षा म.प्र. वल्लभ भवन, भोपाल।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
5. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
6. उपकुलसचिव, गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
7. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
8. कुलपति जी के निज सचिव के माध्यम से कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
9. कुलसचिव जी के निज सचिव के माध्यम से कुलसचिव जी की ओर सूचनार्थ।
10. संबंधित नस्ती।

प्र. सहा. कुलसचिव(अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल